यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूड़की के माह 08/2015 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 24/08/2017 से 04/09/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. श्रीवास्तव, डी.के. मट्टू व भानू प्रताप, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक व शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13/08/2015 से 21/08/2015 तक श्री .... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2012 से 07/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः मार्ग निर्माण, सेतु निर्माण एवं सल निर्माण जनपद देहरादून व हरिद्वार।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15			517.47	513.33	6747.36	5375.71	-	1375.79
2015-16			493.38	485.70	8477.51	8424.75	-	60.44
2016-17			420.52	365.92	11532.47	10886.97	-	700.40
2017-18 अब तक			438.95	196.79	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	CRF	-	100.10	100.10		-
2015-16	CRF	-	4600.00	4600.00		-
2016-17	CRF	-	7812.71	7222.71		590.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, रा.मा. लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व., उत्तराखण्ड

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूड़की को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। Strengthening work of Purkazi- Laksar- Haridwar road Km 31 to 61.50 NH-334-A का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 21/12/16 से 23/12/2016 का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/13 तथा 09/13 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 07/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - 688103/-

   भाग द् वतीय - ₹ 1,26,000/-

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/17 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 14,40,070/-

   (ख) सामग्री क्रय – शून्य

   (ग) नगद परिशोधन - शून्य

   (घ) निक्षेप- ₹ 3,94,62,752/-

   (ङ) भण्डार- ₹ 12,48,991/-

भाग 2 ब

प्रस्तर 1: वभागीय श थलता व अदूरद र्शता के कारण अपूर्ण पीरिय डकल **renewal** के निष्पादित कार्य पर निरर्थक व्यय `**89.40** लाख।

राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 73 (नया नंबर 344) के कमी० 0 में 4 पी० आर० का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश एन०एच० -13012/04/ 2015-यू0 आर० -एनएच -11 दिनांक 31/03/2016 द्वारा कुल लागत `248.06 लाख की प्राप्त हुई थी।

अ धशासी अ भयन्ता, एन०एच० खण्ड, रूड़की के अ भलेखो मे पाया गया क प्रोजेक्ट मैनेजर, पी० आई० यू० , यू०यूएसडीआईपीआर (ए० डी० बी०) द्वारा उक्त मार्ग मे सीवर लाइन क० मी० 0 से 6 डालने हेतु प्रस्ताव/आवेदन (6/2015) खण्ड को प्राप्त हुआ था जिसकी गणना कर 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप मे खण्ड को `1.15 करोड़ (24 September 2016) को प्राप्त कए गए। यह जानते हुए भी प्रोजेक्ट मैनेजर, पी० आई० यू० , यू०यूएसडीआईपीआर (ए० डी० बी०) द्वारा उक्त मार्ग मे सीवर लाइन क० मी० 0 से 6 डाला जाना है खण्ड द्वारा पीरिय डकल renewal कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या 19/SE-एनएच/10-16 दिनांक 6/6/2016 मेसर्स श्री आदि शव कन्स्ट्रकशन हरिद्वार के साथ कुल लागत `149.64 लाख का गठित कया गया जिस के अनुसार कार्य प्रारम्भ 6/6/2016 व कार्य समाप्ती की निर्धरित ति थ 5/9/2016 थी। आतिथी (अगस्त 2017) तक अपूर्ण निष्पादन कार्य पर निरर्थक व्यय `89.40 लाख का कया गया है।

आगे लेखा अ भलेखो मे पाया गया क खण्ड द्वारा क० मी० 0 से 6 के रेस्टोरेशन हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' से प्राप्त धनरा श ` 1.15 करोड़ के सापेक्ष ` 96.66 लाख का व्यय 5 अपूर्ण अनुबन्धो गठित द्वारा कया गया। उक्त अनुबन्धो से क० मी० 3 से 5 के रेस्टोरेशन कार्य मार्च 2017 व क० मी० से 2 1 जून 2017 तक कया जाना था ले कन यह कार्य भी आति थ तक अपूर्ण है। अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्य समय पर पूर्ण न कये जाने के कारण 10 प्रतिशत की वसूली ठेकेदार के देयक से कया जाना था ले कन खण्ड द्वारा ऐसा भी नहीं कया गया था और न ही ठेकेदारो को कार्य पूर्ण कये जाने हेतु दण्डात्मक कार्यवाही कये जाने की चेतावनी अथवा पत्राचार कया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क मार्ग की चौड़ाई 12 मी0 है जिसकी 9 मी0 चौडाई मे पीआर का कार्य तथा 3 मी0 चौड़ाई मे सीवर लाइन डालने के उपरांत रेस्टोरेशन का कार्य होना है तथा सीवर लाइन का सज्ञान लया गया था। खण्ड द्वारा यह भी अवगत कया गया क एडीबी का कार्य पूर्ण न होने के कारण पी०

आर० एवं रेस्टोरेशन का कार्य पूरा नहीं हो पाया तथा कार्य मे व्यवधान रहा है। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क कार्य प्रारम्भ 6/6/2016 व कार्य समाप्ति की निर्धारित ति थ 5/9/2016 इस दोरन पीआर का कार्य करवाया गया था तथा सीवर लाइन का कार्य मार्ग पर उसके बाद कया गया था व यह एक तरफ से न हो कर मार्ग के दोनों sides पर अलग अलग स्थानो पर काटा गया जिस कारण से यह सम्भव ही नहीं है की पी0 आर0 के कार्य करने से पूर्व सीवर लाइन का सज्ञान लया जा सके। इस के अतिरिक्त चूं क ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण कार्य को सीवर लाइन डालने से व्यवधान आया।

अत: वभागीय श थलता, अदूरद र्शता व लापरवाही के कारण निर्माण कार्यो पर निरर्थक व्यय `**89.40** लाख का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर **2**: उपखनिजो पर ` 79.96 लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

(क) उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016,एवं स.842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ-1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

उक्त के परिप्रेक्षय में अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., रुड़की के संबं धत अ भलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की नमूना जॉच में पाया गया क खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती अक्तूबर 2015,से मार्च 2017 मे नहीं की गयी थी। अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक-07.08.2015 से 09.12.2015 तक 200.00, दिनांक-10.12.2015 से 25.02.2016 तक 90.00, दिनांक-26.02.2016 से 18 मई 2016 तक `194.50 तथा 19 मई 2016 से अब तक 154.00 प्रति घन मीटर संशो धत /वृद् ध कया गया था। अगर खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो `54.44 लाख रायल्टी के रूप में और राजस्व प्राप्त होती अर्थात (76.40 - `21.96 लाख= 54.44 लाख) की राजस्व की कम वसूली हुई है।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क रॉयल्टी के दरो के पुनरी क्षत होने के कारण यह अंतर आया हैं। अनुबंध पहले कया जाता हैं। यदि वभाग द्वारा बढ़ी हुई दरो से कटौती की जाती तो contractor द्वारा court जाने की संभावना भी थी। पूर्व मे भी contractor द्वारा court मे वाद दायर कए गए तथा निर्णय contractor के पक्ष मे ही आए। जिस कारण वभाग/सरकार की छ व धू मल हुई। तथा court case का अतिरिक्त व्यय भी हुआ हैं। जिस कारण बढ़ी हुयी दरो पर कटौती कया जाना उ चत नही हैं। खण्ड का उत्तर मान्य नही है क्यों क शासनादेश/अ धसूचना मे यह स्पष्टतः उल्लि खत हैं क रॉयल्टी की संशो धत दरे आदेश निर्गत होने की ति थ से लागू होगी।

(ख) सी. आर.एफ. के अंतर्गत अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., रुड़की द्वारा 391.25 M long bridge in Km.24 Kudkawal-Raighat River on Roshnabad-Biharigarh road in Distt-Haridwar मे अनुबंध संख्या. 15/SE-एन एच/10/15-16 दिनांक-26/05/2016 के तहत मेसर्स श्री वी. के. गुप्ता & एस्सोसेट्स के साथ कुल लागत ` 35.86

करोड़ द्वारा नि र्मत कया गया था। तथा ठेकेदार का अंतिम देयक का भुगतान दिनांक-23.03.2017 को कया जा चुका हैं।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016,के अ धसूचना का स्तम्भ-1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

उक्त के परिप्रेक्षय में अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., रुड़की के संबं धत अ भलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की नमूना जॉच में पायागया क खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती नहीं की गयी थी। उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 के अनुसार साधारण मट्टी पर दिनांक-26.02.2016 मे 50.00 प्रति घन मीटर व 10/2016 से 100.00 प्रति घन मीटर अब तक संशो धत /वृद् ध कया गया था। अगर खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो कम से कम `25.52 लाख (`30.38-`4.86) रायल्टी के रूप में और राजस्व प्राप्त होती।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क कम रॉयल्टी के कटौती हेतु माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर मुख्य अ भयंता द्वारा दिया गया । जब क माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड, नैनीताल के दिनांक-06.10.2016 के पैरा-3 के अनुसार ***In view of above, I dispose of the writ petition directing the respondent no.3 to decide the representation(s) of the petitioner (Annexure No.4), strictly in accordance with law, within a period of four weeks from the date of production of certified copy of the order.***" कहा गया हैं। खण्ड का उत्तर मान्य नही है क्यों क शासनादेश/अ धसूचना मे यह स्पष्टतः उल्लि खत हैं। क रॉयल्टी की संशो धत दरे आदेश निर्गत होने की ति थ से लागू होगी एवं कार्यालय प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लो. नि. व. उत्तराखंड के व ध परामर्शी द्वारा भी अनुरोध कया गया हैं क उक्त प्रकरण पर पुनः मुख्य अ भयंता,राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग, देहारादून से दिशा-निर्देश लेते हुए आपके द्वारा अंतिम निर्णय लया जाना सर्वथा उ चत प्रतीत होगा।

अतः कुल `79.96 (`54.44+`25.52लाख) लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 3: 'रोड कटिंग चार्जेस' से प्राप्त धनरा श ` 4.48 करोड़ को संबन्धित खण्ड को आवश्यक कारवाही हेतु हस्तांतरित न कया जाना व व्यय वर्तन ` 68.56 लाख।

Paragraph 21 of UP Financial Hand Book volume-V Part I and paragraph 81 and 82(iii) of उत्तराखंड budget manual lays down that the departmental authority are required to see whether all revenue receipts due to Government are correctly and properly assessed and credited into Government account without undue delay. Such receipts shall not be utilised towards departmental expenditure without proper authorisation by the Government.

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी प्राइवेट संस्थान / जैसे जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल पाइप लाइन बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग दुवारा खण्ड को प्रदान की जाती है।

अ धशासी अ भयन्ता, एन०एच० खण्ड, रूड़की के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड को 04/2015 से अगस्त 2017 के मध्य व भन्न खण्ड संस्थानों द्वारा 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में `18.58 करोड़ धनरा श प्रदान क गयी जिसे निक्षेप पंजिका मद-8443 स वल डपॉज़िट के रूप में रख कर उक्त कार्यो के साथ साथ अन्य व भन्न कार्यो एवं कार्यालय व्यय पर भी कया व कया जा रहा है। अ भलेखो के अनुसार खण्ड के पास मार्ग निर्माण कार्य हेतु केवल एन० एच 72 ए डाट काली से आई० एस० बी० टी० तिराहा तक व एन०एच० 334ए के क॰ मी॰ 15 से 61.50 ही आता है तथा अन्य मार्ग जैसे क एन०एच० 58, एनएच 73 व एन०एच० 74 को एन०एच० ए आई को एवं एन० एच० 72 को एन०एच० डोईवाला को हस्तांतरित कए गये है। ले कन अ भलेखों मे पाया गया की उक्त मार्गो पर अन्य वभागो से मार्ग मरम्मत कराने हेतु प्राप्त 'रोड कटिंग चार्जेस' का न तो खण्ड द्वारा धनरा श उन खण्ड को हस्तांतरित की है और न ही इस को मद -0059 मे जमा क गया है इसके वपरित खण्ड द्वारा इस धनरा श मे से ` 68.56 लाख का उपयोग व्ययवर्तन करते हुवे अन्य कार्यो/ मरम्मत व कार्यालय व्यय पर कया जो क वत्तीय नियम व बजट मेनुयल के अनुसार नहीं है।

निक्षेप पंजिका के अनुसार 'रोड कटिंग चार्जेस' कार्य मद मे अवशेष धनरा श `3.33 करोड़ (जुलाई 2017) के सापेक्ष `2.30 करोड़ (12 items) एन० एच० 72 के है जो क खण्ड एनएच डोईवाला के अंतर्गत आता है उक्त धनरा श को खण्ड द्वारा हस्तांतरित नहीं कया है व `0.22

करोड़ (8 items) एन०एच0 ए0 आई0 को भी अवशयक कारवाही हेतु हस्तांतरित नहीं कया है। इस के साथ साथ अ भलेखों मे यह भी पाया गया की खण्ड द्वारा एनएच 72 के अंतर्गत `1.96 करोड़ (9 items) के चालान मद-8443 मे डालते हुवे डी०सी०एल० प्राप्ति हेतु अपने पास रखा है जब क यह धनरा श भी खण्ड एन०एच०, डोईवाला के अंतर्गत हस्तांतरित कया जाना चाहिए था। उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क अन्य मार्ग जैसे क एन०एच० 58, एनएच 73 व एन०एच० 74 एवं एन० एच० 72 मे उनका कुछ भाग खण्ड के अंतर्गत भी है जिस कारण से निक्षेप मद से इन मार्गो पर परिल क्षत हो रही है व धनरा श जिस मद मे प्राप्त हुई है उसी मद मे खण्ड द्वारा उपयोग मे लाया गया है। खण्ड का उत्तर तरकसंगत नहीं है क्यो क एन०एच० 58, एनएच 73 व एन०एच० 74 एवं एन० एच० 72 को पूर्ण रूप से अन्य खण्डो को हस्तांतरित कये गये है तथा खण्ड के पास मार्ग निर्माण कार्य हेतु केवल एन० एच 72ए डाट काली से आई० एस० बी० टी० तिराहा तक व एन०एच० 334ए के क॰ मी॰ 15 से 61.50 ही आता है उक्त मार्ग अ धशासी अ भयन्ता, प्रा0 ख0, लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार द्वारा खण्ड को सुदृढीकरण की डी०पी०आर० सहित हस्तगत कया था इस के अतिरिक्त खण्ड द्वारा एन०एच० 58, एनएच 73 व एन०एच० 74 एवं एन० एच० 72 मे कोन सा क० मी० का भाग उनके खण्ड के अंतर्गत आता है के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कये तथा खण्ड द्वारा प्राप्त धनरा श मे से ` 68.56 लाख का उपयोग व्ययवर्तन करते हुवे अन्य कार्यो/ मरम्मत व कार्यालय व्यय पर कया जो क वत्तीय नियम व बजट मेनुयल के अनुसार नहीं है ।

अत: रोड कटिंग चार्जेस' से प्राप्त धनरा श ` 4.48 करोड़ को संबन्धित खण्ड को आवश्यक कारवाही हेतु हस्तांतरित न कया जाना व व्यय वर्तन ` 68.56 लाख का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2 ब

प्रस्तर 4: प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून के रोड कटिंग चार्जेस' के निर्धारित दर से गणना न कए जाने के कारण प्राइवेट संस्थानो व निगमो से देय चार्जेस `15.16 लाख का कम निर्धारण कर उक्त संस्थानो को अनु चत लाभ पहुचाना।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/ प्राइवेट संस्थान जैसे /जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल पाइप लाइन / बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है। इसकी गणना की दर प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून द्वारा 16/5/2011 व 22/9/2016 के अनुसार निर्धारित की जानी है।

अ धशासी अ भयन्ता, एन०एच० खण्ड, रुड़की के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड द्वारा राष्ट्रीय राज मार्ग 344 (पुराना नंबर 73) के क०मी० 0.5 से 13.600 तक (2/3/2015) (ofd केबल) 'रोड कटिंग चार्जेस' के 5895 sqm @450= `2652750 के स्थान पर केवल `2537000/- का ही निर्धारण कर ऑ फसर कोममां डंग कम्युनिकेशन & आईटी एयर फोर्स को `115750 लाख की कम वसूली की गयी इस के अतिरिक्त राष्ट्रीय राज मार्ग 58 के क०मी० 173 से कुल) 1762.8 km) मे 'रोड कटिंग चार्जेस' के 2800 sqm) पक्का रोड 1635sqm@3210= ` + 52.48कच्चा 1165 sqm @=450 `5.24 लाख( `57.72 लाख के स्थान पर केवल `43.72 लाख पर ही निर्धारण कर सीवर लाइन बिछाई जाने हेतु खण्ड को प्रोजेक्ट मैनेजर, पीआईयू, यूयूएसडीआईपीआर (एडीबी)को 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप मे `14 लाख की कम गणना की गयी थी । अत: गलत निर्धारण के कारण कुल ` 15.16 लाख की कम वसूली 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप मे ऑ फसर कोममां डंग कम्युनिकेशन & आईटी एयर फोर्स व प्रोजेक्ट मैनेजर, पीआईयू, यूयूएसडीआईपीआर (एडीबी)-से की गई है।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया क सन्द र्भत प्रकरण के कार्य की वास्त वक आगणन के आधार पर लया गया है। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क कार्यो पर प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून के द्वारा दिये गए दर/मानको के आधार पर गणना/निर्धारण कया जाना था।

अत: 'रोड कटिंग चार्जेस' का गलत दर से निर्धारण के कारण कंपनियो से कुल ` 15.16 लाख की कम वसूली व इन संस्थानो को अनु चत लाभ पहुचाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर- 1: वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण ₹4.72लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान ।

अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., रुड़की के अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री संजय कुमार सैनी, अपर सहायक अ भयंता एवं श्री भव्य कंबोज, अपर सहायक अ भयंता एवं श्री साउद अली खाँ, अपर सहायक अ भयंता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर 2004 मे नियु क्त हुई थी तथा दोनों अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर 2011 को हुई|

उपरोक्त सभी अ धकारियो की पदोन्नति एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद पर हुई थी परन्तु 2011में अपर सहा.अ भयंता के पद परपदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं| उक्त अ धकारियो की सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का उल्लेख नहीं कया गया था|

श्री संजय कुमार सैनी, अपर सहायक अ भयंता एवं श्री भव्य कंबोज, अपर सहायक अ भयंता के पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमश:₹18150/=व ₹18750/=दिया गया जब क श्री साउद अली खाँ, अपर सहायक अ भयंता को वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दिया गया था। इस प्रकार अप्रैल 2011 को मूल वेतन ₹17080/= निर्धारित करने पर अप्रैल 2011 से जुलाई 2017 तक श्री संजय कुमार सैनी, अपर सहायक अ भयंता एवं श्री भव्य कंबोज, अपर सहायक अ भयंता के कुल ₹4.72लाख (केवल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया|

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क श्री संजय कुमार सैनी, अपर सहायक अ भयंता एवं श्री भव्य कंबोज, अपर सहायक अ भयंता के वेतन मे भन्नता अलग अलग खंडो द्वारा शासनादेश का अलग अलग अर्थ निकालने के कारण हुई हैं। तथा वेतन निर्धारण संशो धत करने की कार्यवाही की जा रही हैं।

अत: श्री संजय कुमार सैनी, अपर सहायक अ भयंता एवं श्री भव्य कंबोज, अपर सहायक अ भयंता,पर ₹4.72लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2: व्यय वर्तन `27.22 लाख ।

अ धशासी अ भयन्ता, एन०एच० खण्ड, रूड़की रोकड़ बही के नमूना जाँच, माह मार्च 2017 के फोरम 64 व व्यय वाउचर के अनुसार यह पाया गया क State Plan के अंतर्गत पुरकाजी लक्सर हरिद्वार एनएच पर पल्लर बनाने के कार्य पर प्राप्त/अवमुक्त बजट से अ धक व्यय कया गया था तथा अनिय मत रूप से यह व्यय 2 अन्य कार्यो पर टी० ई० ओ० द्वारा भारित कया गया जो क बजट मेनुयल व वत्तीय नियमो का उल्लंघन है।

अ भलेखो के अनुसार स्टेट सैक्टर के व्यय वाउचर संख्या 42, 43, 44, 45, एवं 46 माह 2/2017 के अंतर्गत पुरकाजी लक्सर हरिद्वार एनएच पर पल्लर बनाने के कार्य पर `27.22 लाख का व्यय कया गया था ले कन उक्त मे बजट न होने के कारण सी०आर०एफ़० (100% केंद्रीय अनुदान) मे 2 निम्न कार्यो पर कया गया था

कार्य का नाम

1. रोशनाबाद बिहारी गढ राज्य मार्ग के क० मी० ११ पर संदली नदी पर 240 मी० सेतु का निर्माण पर ---- `13.34 लाख
2. रोशनाबाद बिहारी गढ राज्य मार्ग के क० मी० 31.61 तेलपुर के समीप 240 मी० सेतु का निर्माण पर ---- `13.88 लाख

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क त्रुटिवश माह मार्च 2017 मे सी०आर०एफ़० (100% केंद्रीय अनुदान) मद पर भारित हो गया है जिसको भ वष्य मे सही कर दिया जायेगा। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अत: `27.22 लाख अनि मत रूप अन्य कार्य पर भारित कया जाना बजट मेनुयल व वत्तीय नियमो का उल्लंघन का प्रकरण उच्च अ धकरियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
20/2003-04	1	-	
44/2004-05	-	2,3	
02/2006-07	1	-	
09/2007-08	-	1	
33/2008-09	-	3	
12/2011-12	1,2	-	
47/2012-13	-	3	
57/2015-16	-	3,5,6,7	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या खण्ड द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

(ii) वगत लेखापरीक्षा TAN प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

(iii) वगत लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अनुबंध सं. 49/SE - NH/08-09 दिनांक 02-03-2009 तथा संबं धत अ भलेख।

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री शैलेन्द्र मश्रा,	अ ध. अ भ. 10/03/2015 से 05/07/2016 तक।
(ii)	श्री मुहम्मद यूसूफ,	अ ध. अ भ. 05/07/2016 से 24/07/2017 तक।
(iii)	श्री शैलेन्द्र मश्र,	अ ध. अ भ. 24/07/2017 से अब तक।

(iv) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री देवेन्द्र संह रावत (वगत लेखापरीक्षा से अब तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II